न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1376 दिनांक 30/05/24

प्रार्थी:-

1.राजूराम पुत्र देरामाराम
जाति जाट,
निवासी रतासर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.शैतानसिंह पुत्र गुमानसिंह 2.कलसिंह 3.हेमसिंह पि पदमसिंह, जातियान राजपूत 4.चुतरा पुत्र देवा 5.आदूराम 6.भारथाराम 7.मुकनाराम 8.डालूराम 9.लुंभाराम पि.नानाराम जातियान जाट, निवासी रतासर 10.ग्राम पंचायत जरिये सरपंच रतासर 11.रा.उ.मा.वि.जरिये प्रधानाचार्य रतासर 12.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 41/2023 दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र **जैसार** के मौजा **रतासर** के खेत खसरा सं. **454/184 रकबा 08.2556 हैक्टेयर**, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1377 to 1380 दिनांक 30/05/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी राजूराम
3. विप्रार्थीगण शैतानसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:37:57 IST
Reason: SelfAttested

(सूरज भान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन